प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 04.08.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

➢ पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री राजीव नारायण मिश्र द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक निर्देश-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री राजीव नारायण मिश्र द्वारा आज दिनांक 04-08-2019 को समय 11:30 बजे पुलिस लाइन्स स्थित सभाकक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। गोष्ठी का प्रारम्भ जनपद के विभिन्न थानों से आये पुलिस कर्मियों के सैनिक सम्मेलन से किया गया। जिसमें कर्मचारीगण द्वारा पूर्व में बतायी गयी समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली गयी तथा सम्मेलन के दौरान कतिपय कर्मियों द्वारा समस्याए बताई गयी, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

1- अनवर्क आउट अभियोगों को वर्क आउट किया जाये।
2- गौ तस्करी / गौकसी के अपराधों पर जीरो टालरेन्स रखते हुए पर्णतया प्रतिबन्धित रखे।
3- अवैध शराब निष्कर्षण/ बिक्री, मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही किया जाय ।
4- हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी के अपराधो पर पुर्णतया अंकुश लगाने व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
5- एण्टी रोमियों स्क्वाड द्वारा कालेज एंव विद्यालय के आस-पास शोहदों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाये।
6- टॉप टेन /टॉप फाइप में चिन्हित अपराधियों व 05 वर्षीय अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाये।
7- थानों मे पड़े मालों का निस्तारण किया जाय। लावारिस, लादावा, केस प्रापर्टी, आर0टी0ओ0 द्वारा दाखिल वाहनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाये ।
8- मा0 न्यायालय में गवाहों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराकर गवाही दर्ज करायी जाये तथा मुकदमों में पैरवी कर अधिक से अधिक मामलों में अपराधियों को सजा दिलवायी जाय।
9- विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रर्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाने व साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, वांछित / वारंटियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी किये जाने व निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम व रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर निर्देश दिया गया ।
10- पुरस्कार घोषित अपराधियों के बारे में समीक्षा कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए कड़े निर्देश दिये गये ।
11- गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा आगामी त्यौहार श्रावण मास / बकरीद / डोल मेला त्यौहार को सकुशल / शांन्ति ढ़ंग से सम्पन्न कराने हेतु समस्त अधिकारी / कर्मचारियो को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया।

उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव बंशवाल, क्षेत्राधिकारी सदर श्री नीतेश प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी कसया श्री रामदास, क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री नवीन कुमार नायक, प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञानशाखा, निरीक्षक रेडियोशाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रधान लिपिक, प्रभारी आंकिक शाखा, प्रभारी मीडिया सेल, प्रभारी डीसीआरबी शाखा, प्रभारी विशेष जॉच प्रकोष्ठ, प्रभारी विशेष शिकायत प्रकोष्ठ, प्रभारी डायल-100, प्रभारी यातायात, रीडर व पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

➢ पांच पुलिकर्मी हुए सम्मानित-

आज दिनांक 04.08.2019 को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर डा0 राजीव नारायण मिश्र द्वारा 05 पुलिस कर्मियों को उनके सराहनीय कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

1-हे0 का0 रतन पाल थाना हाटा जनपद कुशीनगर द्वारा मु0अ0सं0 279/05 धारा 302, 34 भादवि में प्रभावि पैरवी कर आजीवन कारवास एंव रु0 15,000 अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है तथा 2-हे0 का0 चुन्नु अहमद थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर द्वारा मु0अ0सं0 42/13 धारा 302, 307, 324, 452, भादवि व 3(2)5 एससी. एसटी. एक्ट में प्रभावि पैरवी कर आजीवन कारवास एंव रु0 25,000 अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

इसी क्रम में यू0पी0 100 परियोजना में नियुक्त कर्मचारी 3- आ0चा0 पारितोष तिवारी, 4- आ0चा0 नरेन्द्र कुमार यादव, 5- हो0चा0 राजकुमार यादव द्वारा अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वाहनों के रख रखाव व मरम्मत पर सरकारी धन का व्यय कम से कम किया गया है जो प्रशंसनीय है।

➢ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल- 04)

थाना जटहांबाजार –

थाना जटहांबाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त जमालुद्दीन पुत्र अब्दुल साकिन खेसिया छम्मन टोला थाना जटहांबाजार जनपद कुशीनगर को मु0अ0सं0 87/19 धारा 363,366 भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कुबेरस्थान –

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त मो0 अली उर्फ अजीज पुत्र मौलाना अयुब मिया नुरी साकिन अलीगंज नई थाना अलीगंज जनपद बरेली को मु0अ0सं0 122/19 धारा 363,366 भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना-कसया –

थाना कसया पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त सचिन गौंड पुत्र जवाहिर साकिन धुरिया खास थाना कसया जनपद कुशीनगर को मु0अ0सं0 388/19 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना-रामकोला –

थाना रामकोला पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त शमसुद्दीन उर्फ भुट्टी पुत्र सुलेमान साकिन परेवाटार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को मु0अ0सं0 188/19 धारा 420,406,504,506 भादवि व 13 एनआई एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-**

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 16 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

- **कार्यवाही एक नजर में =**

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-33 वाहन से शमन शुल्क- रु0-10300 ।
2. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-04)

मीडिया सेल
कुशीनगर।